Name of the Plant	Demand	Total Despatches
(15) West Bengal		
Bandel	1160	1347
CESC/S.G.	1470	1585
DPL	730	583
Durgapur	1140	1219
Farakka	4600	4494
Kolaghat	4220	3908
Santaldih	1100	1038
Titagarh	860	917

मध्य प्रदेश में केलो नदी परियोजना का निर्माण

*542 **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में बहुउद्देश्यीय "केलो नदी परियोजना" के निर्माण की स्वीकृति हेतु मंत्रालय द्वारा कौन-सी आपत्तियां लगाई गई हैं, जिनका अब तक निराकरण नहीं हुआ है;

(ख) उनके मंत्रालय को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु राज्य सरकार का अनुरोध कब प्राप्त हुआ; और

(ग) अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) चूंकि प्रस्तावित बांध द्वारा क्षेत्र के आप्लावन हो जाने की संभावना है और उक्त क्षेत्र में कोयले के भंडार विद्यमान होने का पता चला है, जोकि स्थायी रूप से अवरूद्ध हो जाएंगे, अतः इस परियोजना को अनुमोदन दिए जाने से पूर्व इस विषय को केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० को आगे जांच किए जाने के लिए संदर्भगत किया गया था।

(ख) इस संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी, 1990 में केन्द्रीय जल आयोग ने भू-गर्भीय तथा खनन निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केलो नदी परियोजना के आप्लावन क्षेत्र में, कोयले के भंडार विद्यमान होने के संबंध में तैयार की गई एक रिपोर्ट, कोयला मंत्रालय के अनुमोदन तथा टिप्पणी हेतु अग्रसारित की थी।

(ग) लाभकारी रूप में खनन-योग्य भंडारों के स्थायी रूप से अवरूद्ध हो जाने की संभावनाओं को समाप्त किए जाने हेतु इस मामले में और भू-गर्भीय जांच किया जाना आवश्यक समझा गया। भू-गर्भीय तथा खनन निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार ने गहराई से ड्रिल किए जाने के कार्य में अपनी असमर्थता व्यक्ति की थी और उन्होंने केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० को सुझाव दिया था कि इस कार्य के लिए किसी बाह्य अभिकरण को नियोजित किया जाए। तद्नुसार भारतीय भू-सर्वेक्षण को इस क्षेत्र की विस्तृत रूप से जांच किए जाने के लिए कहा गया था। भारतीय भू-सर्वेक्षण ने सितम्बर, 1991 से जुलाई, 1992 की अवधि के दौरान उक्त क्षेत्र में और भू-गर्भीय जांच की थी। भारतीय भू-सर्वेक्षण से अन्वेषण कार्य की अनुमानित लागत के रूप में 30 लाख रु० की राशि की मांग की थी और तद्नुसार कोयला मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार से केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० को अदायगी किए जाने के लिए उक्त राशि की व्यवस्था करने हेतु अनुरोध किया था, जिन्होंने कि भारतीय भू-सर्वेक्षण को नियोजित किए जाने और इस संबंध में किए गए कार्य की अदायगी किए जाने की जिम्मेदारी ली थी। इस संबंध में अन्वेषण कार्य पूरा हो जाने के बाद भारतीय भू-सर्वेक्षण ने 38.17 लाख रु० की राशि का एक बिल प्रस्तुत किया है, जिसकी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अदायगी की जानी है।